संख्या- 67/2018/900/24-1-18-862 (बजट) /2014

प्रेषक:

इन्द्रराज सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 11 मई, 2018

विषय:-उदय योजना के अन्तर्गत भविष्य में होने वाली परिचालकीय हानियों की प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त राजस्व अनुदान की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या- 483/मु0म0प्र (वित्त) /विप्र-2/आय-व्ययक/2018-19/341, दिनांक 03.04.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उदय योजना के अन्तर्गत भविष्य में होने वाली परिचालकीय हानियों की प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त राजस्व अनुदान की वित्तीय स्वीकृति हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 502,21,00,000/- (रूपये पॉच सौ दो करोड़ इक्कीस लाख मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह मई, 2018 से अगस्त, 2018 तक प्रति माह रूपये 100,00,00,000/- (रूपये सौ करोड मात्र) की चार किस्तों में तथा माह सितम्बर, 2018 में रूपये 102,21,00,000/- (रूपये एक सौ दो करोड इक्कीस लाख मात्र) की पॉचवी किश्त के रूप में आवश्यकता होने पर किया जायेगा।

3- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाया जायेगा तथा तत्संबंधी बिल ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त भाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय- 05-उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' के नामे डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0-79/दस-2018, दिनांक 10 मई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या- 67/2018/900(1)/24-1-18, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

इन्द्रराज सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in